

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/27/2021

दिनांक: 14 मार्च, 2021

## प्रेस नोट

भारत निर्वाचन आयोग ने नंदीग्राम की घटना, जिसमें सुश्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री 10 मार्च, 2021 को घायल हो गई थी; के संबंध में मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और विशेष जनरल प्रेक्षक, श्री अजय नायक और विशेष पुलिस प्रेक्षक श्री विवेक दुबे द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आज एक बैठक की।

जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पूर्व मेदिनीपुर और 210 - नंदीग्राम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्टों के अनुबंधों के आधार पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट और विशेष प्रेक्षकों की रिपोर्ट के दस्तावेजों और इस घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के अन्य इनपुटों का अनुशीलन करने के बाद, आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिए:-

1. श्री विवेक सहाय भा.पु.से., निदेशक, सुरक्षा को निदेशक, सुरक्षा के पद से हटा दिया जाएगा और उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। जेड + सुरक्षाग्राही (प्रोटेक्टी) की सुरक्षा के लिए निदेशक, सुरक्षा के रूप में अपने प्राथमिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहने के लिए एक सप्ताह के भीतर उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए।
2. मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक से परामर्श करके मौजूदा प्रक्रिया का पालन करते हुए एक उपयुक्त निदेशक, सुरक्षा को तत्काल तैनात करने के लिए अधिकृत हैं। तैनाती संबंधी आदेश की सूचना दिनांक 15 मार्च, 2021 को अपराहन 1.00 बजे तक आयोग को प्रेषित की जाए।
3. मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की एक समिति अगले तीन दिनों के भीतर निदेशक, सुरक्षा से अधीनस्थ श्रेणी के ऐसे अन्य आसन्न सुरक्षा कर्मियों की पहचान करेगी, जो इस घटना को रोकने और वीवीआईपी जेड + सुरक्षाग्राही (प्रोटेक्टी) की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे और यह समिति उनकी विफलता के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी तथा 17 मार्च, 2021 को अपराहन 5:00 बजे तक आयोग को इसकी सूचना देगी।
4. सुश्री स्मिता पांडे भा.प्र.से.: 2005 को श्री विभू गोयल भा.प्र.से., जिन्हें गैर-निर्वाचन पद पर स्थानांतरित किया जाएगा, के स्थान पर तुरंत जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व मेदिनीपुर के रूप में तैनात किया जाए।

5. श्री प्रवीण प्रकाश, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक पूर्व मेदिनीपुर को भी तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा और बंदोबस्त की बड़ी विफलता के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।
6. श्री सुनील कुमार यादव, भा.पु.से.:2009 को तत्काल श्री प्रवीण प्रकाश भा.पु.से. के स्थान पर पुलिस अधीक्षक, पूर्व मेदिनीपुर के रूप में तैनात किया जाए।
7. मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि नंदीग्राम पुलिस थाना प्रकरण संख्या 97/21 दिनांक 11-03-2021 की जांच अगले 15 दिनों में पूरी की जाए और इसमें कानून के अनुसार परिणामी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आयोग को 31 मार्च, 2021 तक रिपोर्ट भेजी जाए।

आयोग ने यह निर्देश भी दिया कि चूंकि निर्वाचन प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों की सुरक्षा बड़ी संख्या में भीड़ जुटने पर उनसे संभावित निकटता के कारण और अधिक संवेदनशील हो जाती है, और पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था पर ऐसी किसी भी तरह की घटनाओं का सनसनीखेज प्रभाव पड़ता है, अतः स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), और अग्रिम विस्तृत कार्यक्रम, रैलियों या रोड शो आयोजित करने के लिए आवश्यक अनुमति सहित, बुलेट प्रूफ वाहन की तैनाती एवं उपयोग, यदि प्रोटेक्टी की सुरक्षा की श्रेणी के अनुसार अपेक्षित हो, पूर्व निर्धारित मार्ग (गों) पर तैनाती, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों इत्यादि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अनुमोदित कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की अनुमति केवल आवश्यक अनुमोदन (नों) के बाद ही दी जानी चाहिए।

उपरोक्त के संबंध में, आयोग ने सभी निर्वाचनरत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अलग से यह निर्देश जारी करने का भी निर्णय लिया कि वे सभी राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के ध्यान में यह लाएं कि वे सुरक्षा की श्रेणी और स्थानीय खतरे के मूल्यांकन के अनुसार स्टार प्रचारकों की मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों/मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार सुरक्षा का कड़ाई से पालन करें।

इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व महानिदेशक पुलिस, इंटेलिजेंस, पंजाब, श्री अनिल कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त 1984 पंजाब कैडर) को पश्चिम बंगाल की विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के लिए विशेष पुलिस प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। विशेष पुलिस प्रेक्षक के रूप में श्री ए.के. शर्मा पश्चिम बंगाल में निर्वाचनों के संचालन का अवलोकन करने के लिए, श्री विवेक दुबे के अतिरिक्त, दूसरे विशेष पुलिस प्रेक्षक होंगे।

**(पवन दीवान)**  
अवर सचिव